संख्या- 402/77-6-14-5(एम)/13

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
समस्त मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उ.प्र.।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : 03 मार्च, 2014

विषय : <u>प्रदेश में मेगा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर संख्या 5.7 'मेगा परियोजना' शीर्षक के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु, केस-टू-केस आधार पर, विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

2. प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत् नीति के प्रस्तर संख्या-5.7 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा इस विषयक पूर्व निर्गत् शासनादेश संख्या 1457/77-6-12-08-(एम)/12-टी.सी.-VII, दिनांक 23.01.13 तथा उसके साथ कार्यालय ज्ञाप संख्या 138/77-6-12-8(एम)/12-टी.सी.-VII, दिनांक 23.01.13 द्वारा अधिसूचित 'प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किए जाने हेतु नियमावली-2012' को अतिक्रमित करते हुए एतत्द्वारा पुनः निम्नानुसार विस्तृत शासनादेश जारी किया जाता है।

3. यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

4. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर 5.7 में आंशिक संशोधन के उपरान्त यह प्राविधान किया गया है कि मेगा परियोजना का तात्पर्य रु.200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली निजी-क्षेत्र अथवा संयुक्त-क्षेत्र (जिसमें शासकीय अथवा शासकीय उपक्रम की पूंजी 49 प्रतिशत अथवा उससे कम हो) की समस्त औद्योगिक इकाइयों से है, जिसमें विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं। इन इकाइयों की स्थापना हेतु कई बार त्वरित सहायता, राज्य सरकार से वांछित होती है, जिससे इनका उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो सके तथा इनको स्थापित करने में समय की बचत हो सके।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक मेगा परियोजनाओं की स्थापना हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत् प्रोत्साहित किया जाएगा :-

(क) रु.200 करोड़ अथवा उससे अधिक परन्तु रु.500 करोड़ से कम तक की पूंजी निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 मे वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जाएगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पॉवर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा. मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमन्य नहीं कराई जाएंगी, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित ना हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवण्टन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट-ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी इकाइयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बंधी सुविधाएं-जैसे सड़क, विद्युत लाईन, सीवर लाईन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

(ख) रु.500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर इम्पॉम्वर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा. मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 से आच्छादित नहीं हैं।

(ग) कौशल-वृद्धि एवं दक्षता-विकास के उद्देश्य से प्रदेश में रु.500 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश किए जाने पर परियोजना को केस-टू-केस आधार पर इम्पॉवर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा. मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त वही सुविधाएं अनुमन्य की जा सकेंगी जो रु.500 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक मेगा परियोजनाओं को अनुमन्य होंगी।

5. मेगा नीति के समस्त लाभ ग्रीन-फील्ड इकाइयों के साथ-साथ ब्राउन-फील्ड एवं विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

6. पूंजी निवेश की गणना में भूमि, भवन, प्लाण्ट एण्ड मशीनरी व अन्य पूंजीगत् संपत्तियों में किया जाने वाला निवेश शामिल होगा। 'प्लाण्ट एण्ड मशीनरी' का तात्पर्य नए यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंग-सेट, ब्वॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, एप्रेटस, कम्पोनेण्ट्स, जिग्स, फिक्चर्स, डाईज़ एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नए यंत्र-संयंत्र सम्मिलित है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो।

7. मेगा इकाइयों को अनुमन्य विशेष सुविधाएं एवं रियायतों के अर्न्तगत प्रदत्त वित्तीय लाभ, कट-ऑफ-डेट के पश्चात् किए गए पूंजी निवेश पर अनुमन्य कराए जाएंगे। 'कट-ऑफ-डेट' का तात्पर्य मेगा परियोजना को प्रोत्साहन दिए जाने के सम्बंध में मूल निर्गत शासनादेश दिनांक 23.01.2013 से है।

8. अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजनाओं एवं उपरोक्त प्रस्तर 4(ग) में वर्णित कौशल वृद्धि एवं दक्षता विकास की परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नवत् इम्पॉवर्ड कमेटी गठित करने की सहर्ष स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाती है :-

8.1 <u>इम्पॉवर्ड कमेटी</u>

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

शासन।

4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।	सदस्य-सचिव

8.2 इम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में आवश्यकतानुसार सम्बंधित मण्डलायुक्त/सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य अधिकारियों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

8.3 उद्योग बन्धु द्वारा समिति के सचिवालय का कार्य किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त प्रत्यावेदन/आवेदन यथासंभव तीन कार्य दिवस में सम्बंधित विभागों को आख्या हेतु अग्रसारित किये जाएंगे। सम्बंधित विभागों द्वारा ऐसे प्रत्यावेदनों/आवेदनों पर एक सप्ताह के अन्दर आख्या उद्योग बन्धु को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। उद्योग बन्धु द्वारा सम्बंधित प्रकरण इम्पॉवर्ड कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें सम्बंधित विभाग के साथ-साथ उद्यमी को भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

9. <u>समिति का कार्यक्षेत्र</u> -

9.1 उत्तर प्रदेश में रु.200 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं को उनके द्वारा वांछित विशेष छूट/सुविधाएं उपलब्ध कराने पर, गुणावगुण के आधार पर, केस-टू-केस विचार करना।

9.2 समस्त मेगा इकाइयों, जिसमें विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं, के आवेदनों पर शासनादेशों के अनुरूप राज्य सरकार से वांछित विशेष सहायता उपलब्ध कराने पर केस-टू-केस गुणावगुण आधार पर विचार करना तथा सहमति की दशा में औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत करना।

9.3 कौशल वृद्धि, दक्षता विकास अथवा क्षमता विकास के उद्देश्य से प्रदेश में रु.500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं द्वारा वांछित राज्य सरकार की विशेष सहायता उपलब्ध कराने पर केस-टू-केस गुणावगुण आधार पर विचार करना तथा सहमति की दशा में औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत करना।

9.4 मेगा इकाईयों हेतु वांछित अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर मत निश्चित करना। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधा जैसे-सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाईन, जल निकासी की माँग की जाती है तो पूर्णतः अथवा अंशतः शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाना।

9.5 उद्यमियों की मेगा परियोजना स्थापित करने सम्बंधी समस्याओं का निराकरण तथा सम्बंधित विभागों से फास्ट ट्रैक मोड में स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ जारी कराना।

9.6 मेगा इकाईयों को फास्ट ट्रैक मोड पर भूमि के आवण्टन, नदियों व नहरों से जल आवण्टन, विद्युत कनेक्शन आवण्टन पर विचार करना।

9.7 मेगा परियोजनाओं की स्थापना से सम्बंधित नीतियों, नियमों एवं अधिनियमों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण एवं सुधार कराये जाने पर संस्तुति करना।

9.8 मेगा परियोजनाओं हेतु मा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत विशेष सुविधाओं को विभिन्न विभागों/प्राधिकरणो/निगमों आदि द्वारा लागू करने की प्रगति की समीक्षा करना।

9.9 मेगा परियोजनाओं को स्थापित करने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु नामित किए गए नोडल ऑफिसर के समक्ष आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराना।

10. समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार तथा आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी आयोजित की जा सकेगी।

11. इस योजना के संचालन हेतु उद्योग बन्धु को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है। 'उद्योग बन्धु' का तात्पर्य राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु से है जो फर्म्स एण्ड सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन एजेन्सी है।

12. मेगा परियोजना को नीति के अन्तर्गत् सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-

12.1 भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय-पत्र/इच्छा-पत्र दाख़िल किया गया हों।

12.2 'कट-ऑफ-डेट' के पूर्व, अनुमानित परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा उससे कम पूंजी निवेश किया गया हो, चाहे वह पूंजी निवेश अग्रिम के रूप में ही क्यों न किया गया हो। यदि कम्पनी ने इकाई की स्थापना हेतु कट-ऑफ-डेट से पूर्व भूमि क्रय की है अथवा किसी शासकीय संस्था/वित्तीय संस्था/शिडूयल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) से भूमि को भवन सहित क्रय किया है तो ऐसी औद्योगिक इकाई को योजनान्तर्गत् अपात्र नहीं माना जाएगा। किन्तु रु.200 करोड़/रु.500 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश की गणना में भूमि एवं भवन में किये गए निवेश को शामिल नहीं किया जाएगा।

12.3 रु.200 करोड़/रु.500 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश की गणना कट-ऑफ-डेट से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि तक किए गए स्थाई पूंजी निवेश के आधार पर की जाएगी।

12.4 पूंजी निवेश की सही धनराशि के आंकलन हेतु इसको कम्पनी के प्राधिकृत निदेशक एवं स्टेच्यूटरी ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए प्रमाण-पत्रों के माध्यम से दर्शायी गई पूंजी निवेश की वास्तविकता के आंकलन हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यथावश्यकता किसी उपयुक्त एजेन्सी से पुष्टि करायी जाएगी।

12.5 मेगा परियोजना के सम्बंध में अनुमन्य कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं हेतु लेटर-ऑफ-कॅम्फ़र्ट जारी किया जाएगा एवं लेटर-ऑफ-कॅम्फ़र्ट के दिनांक से आगामी 5 वर्षों के भीतर परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक होगा।

12.6 प्रवर्तक कम्पनी द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम छः माह के भीतर परियोजना हेतु ऋण स्वीकृति के लिए शिडूयल्ड वाणिज्यक बैक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ कर) अथवा इन बैंको के नियंत्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल करा कर अप्रेजल रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्राप्त करायी जायेगी। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैक से ऋण नही प्राप्त किया जा रहा हो

तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओं में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेज़ल कराना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को योजनान्तर्गत वित्तीय सुविधायें/वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेज़ल नही किया जायेगा।

12.7 यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तद्नुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस परियोजना को मेगा परियोजना के अन्तर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी. आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेज़ल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर-ऑफ-कम्फर्ट जारी होने की दिनांक से आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अन्तिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात्, परन्तु अन्तिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अन्तर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएं, इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही उपलब्ध कराई जाएगी।

13. योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधाएं स्वीकृत करने की प्रक्रिया

13.1 मेगा परियोजना की स्थापना करने हेतु प्रवर्तक कंपनी द्वारा प्रस्ताव उद्योग बन्धु को प्रेषित किया जायेगा।

13.2 प्राधिकृत संस्था द्वारा औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त प्रत्यावेदन/आवेदन यथासंभव तीन कार्य दिवस में संबन्धित विभागों को अग्रसारित कर दिये जायेंगे। संबन्धित विभागों द्वारा ऐसे प्रत्यावेदनो/आवेदनों पर एक सप्ताह के अंदर आख्या सुसंगत शर्तो सहित, यादि कोई हो, प्राधिकृत संस्था को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

13.3 प्राधिकृत संस्था द्वारा सम्पूर्ण परियोजना हेतु उपरोक्त प्रस्तर-13(2) के अंतर्गत विभिन्न विभागों से आंकलन सहित आख्या प्राप्त होने के उपरान्त इनका संकलन कर अनुमन्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी को विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

13.4 इम्पावर्ड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति सहित प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित किया जोयगा।

13.5 प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इकाई के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मंत्रि-परिषद द्वारा इकाई की पात्रता को स्वीकृति प्रदान किये जाने की दशा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मेगा प्रोजेक्ट हेतु मा. मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत समस्त सुविधाओं/ रियायतों के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणो/निगमों आदि को उनके द्वारा आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा।

13.6 इम्पॉवर्ड कमेटी द्वारा उपर्युक्त सभी शासनादेशों के समयबद्ध जारी होने व अन्य कार्यवाही पूर्ण होने का अनुश्रवण किया जाएगा।

13.7 उद्योग बन्धु द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु अलग-अलग परियोजनाओं हेतु अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नामित करवाया जायेगा जो प्रोजेक्ट में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर उनके निराकरण हेतु समयवद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे।

14. योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधाएं वितरित करने की प्रक्रिया

14.1 इकाई द्वारा, मेगा इकाई की स्थापना के सम्बंध में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट में वर्णित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात, आवेदन पत्र प्राधिकृत संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संकलित कर प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तें पूर्ण कर लिए जाने पर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मत स्थिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा0 मंत्रि-परिषद् के आदेश प्राप्त किये जायेगें।

14.2 अनुमन्य सुविधाओं का वितरण सुविधा से संबंधित शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यदि कोई ऐसी सुविधा दी जाती है जिसके वितरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश विद्यमान नहीं है तो ऐसी दशा में नियमानुसार शासनादेश संबंधित विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

15. योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16. अन्य

16.1. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलें प्राधिकृत संस्था को संदर्भित किये जायेगें।

16.2. विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण इम्पावर्ड कमेटी को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

16.3. योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का तथा योजना में संशोधन करने हेतु संस्तुति करने का अधिकार इम्पावर्ड कमेटी को होगा।

17. मेगा परियोजना को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के सम्बंध में, पूर्व में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में घोषित समस्त इकाइयों को अनुमन्य सुविधाओं हेतु शासनादेश जारी किए गए थे। यदि पूर्व में निर्गत शासनादेशों में सुविधाएं अनुमन्य कराए जाने के विषय पर कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी दशा में मेगा परियोजना सम्बंधी यह नवीन शासनादेश लागू होगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या : 402(1)/77-6-14-5(एम)/13 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
5. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र.-लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
9. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या: 402(2)/77-6-14-5(एम)/13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.-लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव